अनवान हरि सिंह बनाम रामसिंह
प्रकरण सं. 05/2020

7.25

सर्वप्रथम वादी संख्या 1 के नाम के आगे लाल स्याही से कलमजन (Delete) लिखा जाता है। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपी.सी. समाहित की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य बहस यह रही कि वादीगण द्वारा चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51, 54, 74, 67 के कुल रकबा 77 बिघा 8 बिस्वा कि खातेदारी मे स्व० धर्म सिह का हिस्सा 38 बिघा 14 बिस्वा मे वर्तमान मे खसरा मुरब्बा नम्बर 74 मे रकबा 26 बिघा 16 बिस्वा एवं मुरब्बा नम्बर 76 मे 1.012 हैक्टेयर में 1/7 1/7 हिस्सा घोषित करने एवं विभाजन करने का वाद पत्र प्रस्तूत किया गया। वाद पत्र में वर्णित उपरोक्त भूमि का पूर्व मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता/दादा स्व० धर्म सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने परिवार के साथ तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.04.2001 के द्वारा विधिवत रूप से विधिवत विभाजन किया गया और विभाजन की अनुपालना में पक्षकारान को प्राप्त उपरोक्त भूमि का बेचान भिन्न–भिन्न समय पर जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 8 ता 17 के हक में किया गया और अब वादीगण लालचवश वाद प्रस्तूत कर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान कर रहे है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि मे हको कि घोषणा हेतू पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर के यहां वाद पत्र (वाद संख्या 174/2015) प्रस्तूत किया गया व दिनाक 24–06–2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर वादाधीन भूमि मे किसी भी प्रकार का कोई हक नही होने व हको कि हकरसी हो जाने पर वाद को दिनांक 24–06–2016 को विड्रा किया गया। इसलिए वाद पत्र में वर्णित भूमि मे वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक नही होने व हको कि हकरसी हो जाने के कारण वाद पत्र रैस–जुडिकेटा (Res & Judicata) के कानून से बाधित है। वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है व वाद वादीगण इसी स्तर पर खरिज किये जाने योग्य है। स्व० धर्म सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने परिवार के साथ तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04. 04.2001 के द्वारा विधिवत रूप से विभाजन किया गया तथा उक्त विभाजन व आदेश की ताईद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा की जा चुकी है इसलिए भी श्रीमान न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय पर अब पुनः वादीगण इस वाद पत्र के आधार पर स्व० धर्म सिंह द्वारा किये गये विभाजन मे कोई परिवर्तन नहीं करवा सकते व पूर्व मे निर्णित बिन्दू पर पुनः प्रस्तूत वाद पत्र विधिक रूप से पूर्णतः बाधित है। इसलिये वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा तक वाद पत्र विड्रा करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तूत किया गया था जिये श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिससे भी स्पषट है कि वादीगण केवल मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने के लिये पूर्व निर्णित तथ्यों पर वाद पत्र पेश किया गया है। जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कि वाद वादीगण रैस–जुडिकेटा (Res & Judicata) के कानून से विधिक रुप से पूर्णतः बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। **वकील वादी संख्या 2 व 3 की मुख्य जवाब बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि** वादी के पिता द्वारा पूर्व में तहसील में कोई बंटवारा किया हो तो वादीगण को इसकी जानकारी नहीं है तथा वादीगण द्वारा कोई सहमति बंटवारें नें नहीं दी है क्योंकि वादीगण का हिस्सा भूमि पर बनता है। बिना सहमति के वादीगण की भूमि का कोई बंटवारा किया गया है तो वह वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या– 4 इस हद तक स्वीकार है कि वादीगण द्वारा पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा विश्वास दिलाया था कि आपका हिस्सा आपको दे देगें, मगर उनके द्वारा राजीनामा की पालना नहीं की। दावा विद–ड्रा होने पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नहीं होता। मेरिट पर निर्णय होने के बाद अगर कोई दावा प्रस्तुत होता है तो उस पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है क्योंकि पूर्व में मेरिट पर निर्णय नहीं किया गया इसलिए इस पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नहीं होता। जो राजीनामा किया गया था वह धोखे व षड्यंत्र से किया गया था। पूर्व में जो बंटवारा किया गया था उसमें वादीगण की कोई सहमति व हस्ताक्षर नहीं है। वादी संख्या–1 का दावा ड्रॉप हो चुका है लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि अन्य वादीगण द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया है वह परेशान करने के लिए किया गया हो बल्कि अपने अधिकारों की घोषणा के लिए किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खर्चा खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी संख्या 2 व 3 द्वारा इसी न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 174/2015 अनवान शीलादेवी बनाम हरि सिंह को दिनांक 24.06.2016 को राजीनामा के आधार पर वाद को खारिज करवा लिया गया था। इस हेतु वादी संख्या 2 व 3 द्वारा तत्समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2016 के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट लिखा है कि "उपरोक्त वाद आपसी पारिवारिक मनमुटाव के कारण पेश कर दिया गया था वाद में वर्णित हमारे पिता स्व. धर्म सिंह से आई भूमि में हम वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसमे अगर हमारा कोई हक व हिस्सा था तो उसकी हमे हकरसी हो चुकी है।" अतः वादीगण पर **Estoppel** का सिद्धान्त लागू होता है। चूंकि राजीनामा के आधार पर खारिज किया गया वाद/प्रकरण अन्तिम निर्णय की श्रेणी में आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद रैस–जुडिकेटा(Res & Judicata) के कानून से विधिक रूप से बाधित है। अतः प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 18 द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2025 को सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner